

परिशिष्ट 1  
**<sup>1</sup>संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954**  
**सं.आ. 48**

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 है ।

(2) यह 14 मई, 1954 को प्रवृत्त होगा, और ऐसा होने पर संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1950 को अधिकांत कर देगा ।

2. <sup>2</sup>[संविधान के अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370 के अतिरिक्त उसके 20 जून, 1964 को यथा प्रवृत्त और संविधान (उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 1966, संविधान (इक्कीसवां संशोधन) अधिनियम, 1967, संविधान (तेईसवां संशोधन) अधिनियम, 1969 की धारा 5, संविधान (चौबीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971 की धारा 2, संविधान (छब्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 1971, संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972, संविधान (इकतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 की धारा 2, संविधान (तैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 2, संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2, 5, 6 और 7, संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975, संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 की धारा 2, 3 और 6 और संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथासंशोधित, जो उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होने और वे अपवाद और उपांतरण जिनके अधीन वे इस प्रकार लागू होंगे, निम्नलिखित होंगे :-

**(1) उद्देशिका**

**(2) भाग 1**

अनुच्छेद 3 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि जम्मू-कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या उस राज्य के नाम या उसकी सीमा में परिवर्तन करने का उपबंध करने वाला कोई विधेयक उस राज्य के विधान-मंडल की सहमति के बिना संसद् में पुरःस्थापित नहीं किया जाएगा ।” ।

**(3) भाग 2**

(क) यह भाग जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में 26 जनवरी, 1950 से लागू समझा जाएगा ।

(ख) अनुच्छेद 7 में निम्नलिखित और परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि इस अनुच्छेद की कोई बात जम्मू-कश्मीर राज्य के ऐसे स्थायी निवासी को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्यक्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन करने के पश्चात् उस राज्य के क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो उस राज्य में पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए उस राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है, तथा ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा ।” ।

**(4) भाग 3**

(क) अनुच्छेद 13 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

<sup>1</sup> विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि.आ. 1610, तारीख 14 मई, 1954 भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, पृष्ठ 821 में प्रकाशित ।

<sup>2</sup> प्रारंभ में आने वाले शब्द संविधान आदेश 56, संविधान आदेश 74, संविधान आदेश 76, संविधान आदेश 79, संविधान आदेश 89, संविधान आदेश 91, संविधान आदेश 94, संविधान आदेश 98, संविधान आदेश 103, संविधान आदेश 104, संविधान आदेश 105, संविधान आदेश 108, संविधान आदेश 136 और तत्पश्चात् संविधान आदेश 141 द्वारा संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आए ।

## APPENDIX I

### <sup>1</sup>THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) ORDER, 1954

C.O. 48

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order:—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954.

(2) It shall come into force on the fourteenth day of May, 1954, and shall thereupon supersede the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1950.

2. <sup>2</sup>[The provisions of the Constitution as in force on the 20th day of June, 1964 and as amended by the Constitution (Nineteenth Amendment) Act, 1966, the Constitution (Twenty-first Amendment) Act, 1967, section 5 of the Constitution (Twenty-third Amendment) Act, 1969, the Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971, section 2 of the Constitution (Twenty-fifth Amendment) Act, 1971, the Constitution (Twenty-sixth Amendment) Act, 1971, the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, section 2 of the Constitution (Thirty-first Amendment) Act, 1973, section 2 of the Constitution (Thirty-third Amendment) Act, 1974, sections 2, 5, 6 and 7 of the Constitution (Thirty-eighth Amendment) Act, 1975, the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, the Constitution (Fortieth Amendment) Act, 1976, sections 2, 3 and 6 of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985 and the Constitution (Sixty-first Amendment) Act, 1988 which, in addition to article 1 and article 370, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir and the exceptions and modifications subject to which they shall so apply shall be as follows:—]

(1) THE PREAMBLE.

(2) PART I.

To article 3, there shall be added the following further proviso, namely:—

“Provided further that no Bill providing for increasing or diminishing the area of the State of Jammu and Kashmir or altering the name or boundary of that State shall be introduced in Parliament without the consent of the Legislature of that State.”.

(3) PART II.

(a) This Part shall be deemed to have been applicable in relation to the State of Jammu and Kashmir as from the 26th day of January, 1950.

(b) To article 7, there shall be added the following further proviso, namely:—

“Provided further that nothing in this article shall apply to a permanent resident of the State of Jammu and Kashmir, who, after having so migrated to the territory now included in Pakistan, returns to the territory of that State under a permit for resettlement in that State or permanent return issued by or under the authority of any law made by the Legislature of that State, and every such person shall be deemed to be a citizen of India.”.

(4) PART III.

(a) In article 13, references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of this Order.

---

<sup>1</sup> Published with the Ministry of Law Notification No. S.R.O. 1610, dated the 14th May, 1954, Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Page 821.

<sup>2</sup> The opening words have been successively amended by C.O. 56, C.O. 74, C.O.76, C.O.79, C.O. 89, C.O.91, C.O.94, C.O.98, C.O.103, C.O.104, C.O.105, C.O.108, C.O.136 and C.O. 141 to read as above.

1\* \* \* \* \*

(ग) अनुच्छेद 16 के खंड (3) में, राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है।

(घ) अनुच्छेद 19 में, इस आदेश के प्रारंभ से <sup>2</sup>[<sup>3</sup>पच्चीस] वर्ष] की अवधि के लिए,—

(i) खंड (3) और (4) में, “अधिकार के प्रयोग पर” शब्दों के पश्चात् “राज्य की सुरक्षा या” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (5) में, “या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए” शब्दों के स्थान पर “अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के लिए” शब्द रखे जाएंगे ; और

(iii) निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(7) खंड (2), (3), (4) और (5) में आने वाले “युक्तियुक्त निर्बंधन” शब्दों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निर्बंधन ऐसे हैं जिन्हें समुचित विधान-मंडल युक्तियुक्त समझता है।”

(ङ) अनुच्छेद 22 के खंड (4) में “संसद्” शब्द के स्थान पर “राज्य विधान-मंडल” शब्द रखे जाएंगे और खंड (7) में “संसद् विधि द्वारा विहित कर सकेगी” शब्दों के स्थान पर “राज्य विधान-मंडल विधि द्वारा विहित कर सकेगा” शब्द रखे जाएंगे।

(च) अनुच्छेद 31 में, खंड (3), (4) और (6) का लोप किया जाएगा, और खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(5) खंड (2) की कोई बात—

(क) किसी वर्तमान विधि के उपबंधों पर, अथवा

(ख) किसी ऐसी विधि के उपबंधों पर, जिसे राज्य इसके पश्चात्—

(i) किसी कर या शास्ति के अधिरोपण या उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए ; अथवा

(ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि या प्राण या संपत्ति के संकट-निवारण के लिए ; अथवा

(iii) ऐसी संपत्ति की बाबत, जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की गई है,

बनाए,

कोई प्रभाव नहीं डालेगी।”

(छ) अनुच्छेद 31क में खंड (1) के परन्तुक का लोप किया जाएगा; और खंड (2) के उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) “संपदा” से ऐसी भूमि अभिप्रेत होगी जो कृषि के प्रयोजनों के लिए या कृषि के सहायक प्रयोजनों के लिए या चरागाह के लिए अधिभोग में है या पट्टे पर दी गई है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:—

(i) ऐसी भूमि पर भवनों के स्थल और अन्य संरचनाएं ;

(ii) ऐसी भूमि पर खड़े वृक्ष ;

(iii) वन भूमि और वन्य बंजर भूमि;

(iv) जल से ढके क्षेत्र और जल पर तैरते हुए खेत ;

<sup>1</sup> संविधान आदेश 124 द्वारा (4-2-1985 से) खंड (ख) का लोप किया गया।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 69 द्वारा “दस वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 97 द्वारा “बीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(c) In clause (3) of article 16, the reference to the State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir.

(d) In article 19, for a period of <sup>2</sup><sup>3</sup>[twenty-five years from the commencement of this Order:—

(i) in clauses (3) and (4), after the words “in the interests of”, the words “the security of the State or” shall be inserted;

(ii) in clause (5), for the words “or for the protection of the interests of any Scheduled Tribes”, the words “or in the interests of the security of the State” shall be substituted; and

(iii) the following new clause shall be added, namely:—

'(7) The words “reasonable restrictions” occurring in clauses (2), (3), (4) and (5) shall be construed as meaning such restrictions as the appropriate Legislature deems reasonable.'

(e) In clauses (4) and (7) of article 22, for the word “Parliament”, the words “the Legislature of the State” shall be substituted.

(f) In article 31, clauses (3), (4) and (6) shall be omitted; and for clause (5), there shall be substituted the following clause, namely:—

“(5) Nothing in clause (2) shall affect—

(a) the provisions of any existing law; or

(b) the provisions of any law which the State may hereafter make—

(i) for the purpose of imposing or levying any tax or penalty; or

(ii) for the promotion of public health or the prevention of danger to life or property; or

(iii) with respect to property declared by law to be evacuee property.”.

(g) In article 31A, the proviso to clause (1) shall be omitted; and for sub-clause (a) of clause (2), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

'(a) “estate” shall mean land which is occupied or has been let for agricultural purposes or for purposes subservient to agriculture, or for pasture, and includes—

(i) sites of buildings and other structures on such land;

(ii) trees standing on such land;

(iii) forest land and wooded waste;

(iv) area covered by or fields floating over water;

---

<sup>1</sup> Cl. (b) omitted by C.O. 124, (w.e.f. 4-12-1985).

<sup>2</sup> Subs. by C.O. 69, for “ten years”.

<sup>3</sup> Subs. by C.O. 97, for “twenty”.

(v) जंदर और घराट स्थल ;

(vi) कोई जागीर, इनाम, मुआफी या मुकर्ररी या इसी प्रकार का अन्य अनुदान,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) किसी नगर, या नगरक्षेत्र या ग्राम आबादी में कोई भवन-स्थल या किसी ऐसे भवन या स्थल से अनुलग्न कोई भूमि ;

(ii) कोई भूमि जो किसी नगर या ग्राम के स्थल के रूप में अधिभोग में है ; या

(iii) किसी नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र या छावनी या नगरक्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, जिसके लिए कोई नगर योजना स्कीम मंजूर की गई है, भवन निर्माण के प्रयोजनों के लिए आरक्षित कोई भूमि ।<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[(ज) अनुच्छेद 32 में, खंड (3) का लोप किया जाएगा ]]

(झ) अनुच्छेद 35 में,—

(i) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं ;

(ii) खंड (क) (i) में, “अनुच्छेद 16 के खंड (3), अनुच्छेद 32 के खंड (3)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों का लोप किया जाएगा ; और

(iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात्, निवारक निरोध की बाबत जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के उपबंधों में से किसी से असंगत है, किन्तु ऐसी कोई विधि उक्त आदेश के प्रारंभ से <sup>2</sup>[<sup>3</sup>पच्चीस] वर्ष] के अवसान पर, ऐसी असंगति की मात्रा तक, उन बातों के सिवाय प्रभावहीन हो जाएगी जिन्हें उनके अवसान के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है ।”

(ज) अनुच्छेद 35 के पश्चात् निम्नलिखित नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“35क. **स्थायी निवासियों और उनके अधिकारों की बाबत विधियों की व्यावृत्ति**—इस संविधान में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई विद्यमान विधि और इसके पश्चात् राज्य के विधाम-मंडल द्वारा अधिनियमित ऐसी कोई विधि—

(क) जो उन व्यक्तियों के वर्गों को परिभाषित करती है जो जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं या होंगे, या

(ख) जो—

(i) राज्य सरकार के अधीन नियोजन ;

(ii) राज्य में स्थावर संपत्ति के अर्जन ;

(iii) राज्य में बस जाने ; या

<sup>1</sup> संविधान आदेश 89 द्वारा खंड (ज) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 69 द्वारा “दस वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 97 द्वारा “बीस” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(v) sites of *jandars* and *gharats*;

(vi) any *jagir*, *inam*, *muafi* or *mukarrari* or other similar grant, but does not include—

(i) the site of any building in any town, or town area or village *abadi* or any land appurtenant to any such building or site;

(ii) any land which is occupied as the site of a town or village; or

(iii) any land reserved for building purposes in a municipality or notified area or cantonment or town area or any area for which a town planning scheme is sanctioned.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[(h) In article 32, clause (3) shall be omitted.]

(i) In article 35—

(i) references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of this Order;

(ii) in clause (a) (i), the words, brackets and figures “clause (3) of article 16, clause (3) of article 32” shall be omitted; and

(iii) after clause (b), the following clause shall be added, namely:—

“(c) no law with respect to preventive detention made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir, whether before or after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, shall be void on the ground that it is inconsistent with any of the provisions of this part, but any such law shall, to the extent of such inconsistency, cease to have effect on the expiration of <sup>2</sup><sup>3</sup>[twenty-five] years] from the commencement of the said Order, except as respects things done or omitted to be done before the expiration thereof.”

(j) After article 35, the following new article shall be added, namely:—

“35A. *Saving of laws with respect to permanent residents and their rights.*—Notwithstanding anything contained in this Constitution, no existing law in force in the State of Jammu and Kashmir, and no law hereafter enacted by the Legislature of the State,—

(a) defining the classes of persons who are, or shall be, permanent residents of the State of Jammu and Kashmir; or

(b) conferring on such permanent residents any special rights and privileges or imposing upon other persons any restrictions as respects—

(i) employment under the State Government;

(ii) acquisition of immovable property in the State;

(iii) settlement in the State; or

---

<sup>1</sup> Subs. by C.O. 89, for Cl. (h).

<sup>2</sup> Subs. by C.O. 69, for “ten years”.

<sup>3</sup> Subs. by C.O. 69, for “twenty”.

(iv) छात्रवृत्तियों के या ऐसी अन्य प्रकार की सहायता के जो राज्य सरकार प्रदान करे, अधिकार,

की बाबत ऐसे स्थायी निवासियों को कोई विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदत्त करती है या अन्य व्यक्तियों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित करती है, इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि वह इस भाग के किसी उपबंध द्वारा भारत के अन्य नागरिकों को प्रदत्त किन्हीं अधिकारों से असंगत है या उनको छीनती या न्यून करती है।<sup>1</sup>

## (5) भाग 5

<sup>1</sup>[(क) अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की जनसंख्या तिरसठ लाख समझी जाएगी ;

(ख) अनुच्छेद 81 में, खंड (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :---

“(2) खंड (1) के उपखंड (क) के प्रयोजनों के लिए,---

(क) लोक सभा में राज्य को छह स्थान आबंटित किए जाएंगे ;

(ख) परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा राज्य को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो आयोग उचित समझे, एक सदस्यीय प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा ;

(ग) निर्वाचन-क्षेत्र में, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय प्राकृतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और लोक सुविधा को ध्यान में रखा जाएगा ;

(घ) उन निर्वाचन-क्षेत्रों में, जिनमें राज्य विभाजित किया जाए, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट नहीं होंगे ।

(3) खंड (2) की कोई बात लोक सभा में राज्य के प्रतिनिधित्व पर तब तक प्रभाव नहीं डालेगी जब तक परिसीमन अधिनियम, 1972 के अधीन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन आयोग के अंतिम आदेश या आदेशों के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को विद्यमान सदन का विघटन न हो जाए ।

(4) (क) परिसीमन आयोग राज्य की बाबत अपने कर्तव्यों में अपनी सहायता करने के प्रयोजन के लिए अपने साथ पांच व्यक्तियों को सहयोजित करेगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य होंगे ।

(ख) राज्य से इस प्रकार सहयोजित किए जाने वाले व्यक्ति सदन की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(ग) उपखंड (ख) के अधीन किए जाने वाले प्रथम नामनिर्देशन लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974 के प्रारंभ से दो मास के भीतर किए जाएंगे ।

(घ) किसी भी सहयोजित सदस्य को परिसीमन आयोग के किसी विनिश्चय पर मत देने या हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(ङ) यदि मृत्यु या पदत्याग के कारण किसी सहयोजित सदस्य का पद रिक्त हो जाता है तो उसे लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा और उपखंड (क) और (ख) के उपबंधों के अनुसार यथाशक्य शीघ्र भरा जाएगा ।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iv) right to scholarships and such other forms of aid as the State Government may provide,  
shall be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridges any rights conferred on the other citizens of India by any provision of this Part.”.

(5) PART V.

<sup>1</sup>[(a) For the purposes of article 55, the population of the State of Jammu and Kashmir shall be deemed to be sixty-three lakhs.

(b) In article 81, for clauses (2) and (3), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(2) For the purposes of sub-clause (a) of clause (1),—

(a) there shall be allotted to the State six seats in the House of the People;

(b) the State shall be divided into single member territorial constituencies by the Delimitation Commission constituted under the Delimitation Act, 1972, in accordance with such procedure as the Commission may deem fit;

(c) the constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas, and in delimiting them regard shall be had to physical features, existing boundaries of administrative units, facilities of communication and public convenience; and

(d) the constituencies into which the State is divided shall not comprise the area under the occupation of Pakistan.

(3) Nothing in clause (2) shall affect the representation of the State in the House of the People until the dissolution of the House existing on the date of publication in the Gazette of India of the final order or orders of the Delimitation Commission relating to the delimitation of parliamentary constituencies under the Delimitation Act, 1972.

(4) (a) The Delimitation Commission shall associate with itself for the purpose of assisting it in its duties in respect of the State, five persons who shall be members of the House of the People representing the State.

(b) The persons to be so associated from the State shall be nominated by the Speaker of the House of the People having due regard to the composition of the House.

(c) The first nominations to be made under sub-clause (b) shall be made by the Speaker of the House of the People within two months from the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974.

(d) None of the associate members shall have a right to vote or to sign any decision of the Delimitation Commission.

(e) If owing to death or resignation, the office of an associate member falls vacant, it shall be filled as soon as may be practicable by the Speaker of the House of the People and in accordance with the provisions of sub-clauses (a) and (b).”.]

---

<sup>1</sup> Subs. by C.O. 98, for cls. (a) and (b).



<sup>1</sup>[ (ग) अनुच्छेद 133 में खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) संविधान (तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के उपबंध जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में इस उपांतरण के अधीन लागू होंगे कि उसमें “इस अधिनियम”, “यह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो” और “इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस खंड के उपबंधों की” के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः “संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) दूसरा संशोधन आदेश, 1974”, “उक्त आदेश के प्रारंभ”, “उक्त आदेश पारित नहीं किया गया हो” और “उक्त खंड के उपबंधों, जैसे कि वे उक्त आदेश के प्रारंभ के पश्चात् हों” के प्रति निर्देश हैं”।

<sup>2</sup>[ (घ) अनुच्छेद 134 के खंड (2) में “संसद्” शब्द के पश्चात् “राज्य के विधान-मंडल के अनुरोध पर” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

<sup>2</sup>[ (ङ) अनुच्छेद 135 <sup>3</sup>\*\*\*\* और 139 का लोप किया जाएगा ।

4\* \* \* \* \*

<sup>5</sup>[ (5क) भाग 6

<sup>6</sup>[ (क) अनुच्छेद 153 से 217 तक, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 223, 224, 224क और 225 तथा अनुच्छेद 227 से 237 तक का लोप किया जाएगा।]

(ख) अनुच्छेद 220 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1960 के प्रति निर्देश हैं ।

<sup>7</sup>[ (ग) अनुच्छेद 222 में, खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) प्रत्येक ऐसा अंतरण जो जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय से अथवा उस उच्च न्यायालय को हो, राज्यपाल के परामर्श के पश्चात् किया जाएगा।”]

(6) भाग 11

<sup>8</sup>[ (क) अनुच्छेद 246 के खंड (1) में आने वाले “खंड (2) और खंड (3)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “खंड (2)” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे और खंड (2) में आने वाले “खंड (3) में किसी बात के होते हुए भी” शब्दों, कोष्ठकों और अंक का तथा संपूर्ण खंड (3) और खंड (4) का लोप किया जाएगा ।]

<sup>9</sup><sup>10</sup>[ (ख) अनुच्छेद 248 के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रखा जाएगा, अर्थात् :—

“248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां--संसद् को,—

<sup>11</sup>[ (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या जनता या जनता के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या जनता के किसी अनुभाग को पृथक् करने या जनता के

<sup>1</sup> संविधान आदेश 98 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (ग) और खंड (घ) को खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 60 द्वारा अंक “136” का लोप किया गया ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (च) और खंड (छ) का लोप किया गया ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 60 द्वारा (26-1-1960 से) अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 98 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा (24-11-1965 से) खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>9</sup> संविधान आदेश 85 द्वारा खंड (ख) और खंड (खख), मूल खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>10</sup> संविधान आदेश 93 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>11</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>1</sup>[(c) In article 133, after clause (1), the following clause shall be inserted, namely:—

‘(1A) The provisions of section 3 of the Constitution (Thirtieth Amendment) Act, 1972, shall apply in relation to the State of Jammu and Kashmir subject to the modification that references therein to “this Act”, “the commencement of this Act”, “this Act had not been passed” and “as amended by this Act” shall be construed respectively as references to “the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1974”, “the commencement of the said Order”, “the said Order had not been made” and “as it stands after the commencement of the said Order”.’.]

<sup>2</sup>[(d)] In article 134, clause (2), after the words “Parliament may”, the words “on the request of the Legislature of the State” shall be inserted.

<sup>3</sup>[(e)] Articles 135, <sup>3\*\*\*</sup> and 139 shall be omitted.

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

<sup>5</sup>[(5A) PART VI.

<sup>6</sup>[(a) Articles 153 to 217, article 219, article 221, articles 223, 224, 224A and 225 and articles 227 to 237 shall be omitted.]

(b) In article 220, references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1960.

<sup>7</sup>[(c) In article 222, after clause (1), the following new clause shall be inserted, namely:—

“(1A) Every such transfer from the High Court of Jammu and Kashmir or to that High Court shall be made after consultation with the Governor.”.]

(6) PART XI.

<sup>8</sup>[(a) In article 246, for the words, brackets and figures “clauses (2) and (3)” occurring in clause (1), the word, brackets and figure “clause (2)” shall be substituted, and the words, brackets and figure “Notwithstanding anything in clause (3),” occurring in clause (2) and the whole of clauses (3) and (4) shall be omitted.]

<sup>9</sup><sup>10</sup>[(b) For article 248, the following article shall be substituted, namely:—

“248. *Residuary powers of legislation.* —Parliament has exclusive power to make any law with respect to—

<sup>11</sup>[(a) prevention of activities involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting the harmony amongst different sections of the people;]

---

<sup>1</sup> Ins. by C.O. 98.

<sup>2</sup> Cls. (c) and (d) relettered as cls. (d) and (e) *ibid*.

<sup>3</sup> The figures “136” omitted by C.O. 60.

<sup>4</sup> Cls. (f) and (g) omitted by C.O. 56.

<sup>5</sup> Ins. by C.O. 60 (w.e.f. 26-1-1960).

<sup>6</sup> Subs. by C.O. 89, for Cl. (a).

<sup>7</sup> Subs. by C.O. 74, for cl. (c)(w.e.f. 24-11-1965).

<sup>8</sup> Subs. by C.O. 66, for Cl. (a).

<sup>9</sup> cl. (b) and (bb) Subs. by C.O. 85, for original cl. (b).

<sup>10</sup> Subs. by C.O. 93, for Cl. (b).

<sup>11</sup> Ins. by C.O. 122.

विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलाप को रोकने के संबंध में ;]

<sup>1</sup>[(कक) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्वर्षण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग को संघ से विलग कराने वाले अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रगान और इस संविधान का अपमान करने वाले <sup>2</sup>[अन्य क्रियाकलाप को रोकने] के संबंध में ; और

(ख) (i) समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा पर ;

(ii) अंतर्देशीय विमान यात्रा पर ;

(iii) मनीआर्डर, फोनतार और तार को सम्मिलित करते हुए, डाक वस्तुओं पर,

कर लगाने के संबंध में,

विधि बनाने की अनन्य शक्ति है ।” ]]

<sup>3</sup>[स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद में, “आतंकवादी कार्य” से बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों का या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैव हों या अन्य) उपयोग करके किया गया कोई कार्य या बात अभिप्रेत है ।]

<sup>4</sup>[(खख) अनुच्छेद 249 के खंड (1) में, “राज्य सूची में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में, जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है,” शब्दों के स्थान पर “उस संकल्प में विनिर्दिष्ट ऐसे विषय के संबंध में, जो संघ सूची या समवर्ती सूची में प्रगणित विषय नहीं है,” शब्द रखे जाएंगे ]]

(ग) अनुच्छेद 250 में, “राज्य-सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में” शब्दों के स्थान पर “संघ-सूची में प्रगणित न किए गए विषयों के संबंध में भी” शब्द रखे जाएंगे ।

<sup>5</sup>\* \* \* \* \*

(ड) अनुच्छेद 253 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ के पश्चात्, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में व्यवस्था के प्रभावित करने वाला कोई विनिश्चय भारत सरकार द्वारा उस राज्य की सरकार की सहमति से ही किया जाएगा ।”]

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

<sup>7</sup>[(च) अनुच्छेद 255 का लोप किया जाएगा ।

<sup>8</sup>[(छ) अनुच्छेद 256 को उसके खंड (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) जम्मू-कश्मीर राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे उस राज्य के संबंध में संविधान के अधीन संघ के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का संघ द्वारा निर्वहन सुगम हो, और विशिष्टतया उक्त राज्य यदि संघ वैसी अपेक्षा करे, संघ की ओर से और उसके व्यय पर संपत्ति का

<sup>1</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा “क्रियाकलापों को रोकने” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 129 द्वारा खंड (खख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 129 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (च) का लोप किया गया ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 66 द्वारा खंड (छ) और खंड (ज) को खंड (च) और खंड (छ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

<sup>1</sup> [(aa)] <sup>2</sup>[prevention of other activities] directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National Flag, the Indian National Anthem and this Constitution; and

(b) taxes on—

(i) foreign travel by sea or air;

(ii) inland air travel;

(iii) postal articles, including money orders, phonograms and telegrams.”.

<sup>3</sup> [Explanation.—In this article, “terrorist act” means any act or thing by using bombs, dynamite or other explosive substances or inflammable substances or firearms or other lethal weapons or poisons or noxious gases or other chemicals or any other substances (whether biological or otherwise) of a hazardous nature.]

<sup>4</sup>[(bb) In article 249, in clause (1), for the words “any matter enumerated in the State List specified in the resolution”, the words “any matter specified in the resolution, being a matter which is not enumerated in the Union List or in the Concurrent List” shall be substituted.]]

(c) In article 250, for the words “to any of the matters enumerated in the State List”, the words “also to matters not enumerated in the Union List” shall be substituted.

<sup>5</sup>\* \* \* \* \*

(e) To article 253, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that after the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, no decision affecting the disposition of the State of Jammu and Kashmir shall be made by the Government of India without the consent of the Government of that State.”.

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

<sup>7</sup>[(f)] Article 255 shall be omitted.

<sup>2</sup>[(g)] Article 256 shall be re-numbered as clause (1) of that article, and the following new clause shall be added thereto, namely:—

“(2) The State of Jammu and Kashmir shall so exercise its executive power as to facilitate the discharge by the Union of its duties and responsibilities under the Constitution in relation to that State; and in particular, the said State shall, if so required by the Union, acquire or requisition property on behalf and at the expense of the Union, or if the property belongs to the State, transfer it to the Union on such terms as may be agreed, or in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India.”.

---

<sup>1</sup> Cl. (a) relettered as cl. (aa), *ibid.*

<sup>2</sup> Subs. *ibid.*, for “prevention of activities”.

<sup>3</sup> Ins. by C.O. 122.

<sup>4</sup> Subs. by C.O. 129, for cl. (bb).

<sup>5</sup> Cl. (d) omitted, *ibid.*

<sup>6</sup> Cl. (f) omitted by C.O. 66.

<sup>7</sup> Cls. (g) and (h) relettered as cls. (f) and (g), *ibid.*

अर्जन या अधिग्रहण करेगा अथवा यदि संपत्ति उस राज्य की हो तो ऐसे निबंधनों पर, जो करार पाए जाएं या करार के अभाव में जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अवधारित किए जाएं, उसे संघ को अंतरित करेगा।”।

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>[(ज) अनुच्छेद 261 के खंड (2) में “संसद् द्वारा बनाई गई” शब्दों का लोप किया जाएगा।]

## (7) भाग 12

<sup>3</sup>\* \* \* \* \*

<sup>4</sup>[(क)] अनुच्छेद 267 के खंड (2), अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 283 के खंड (2) <sup>5</sup>[और अनुच्छेद 290] का लोप किया गया।

<sup>4</sup>[(ख)] अनुच्छेद 266, 282, 284, 298, 299 और 300 में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं हैं।

<sup>4</sup>[(ग)] अनुच्छेद 277 और 295 में, संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं।

## (8) भाग 13

<sup>6</sup>\*\*\* अनुच्छेद 303 के खंड (1) में, “सातवीं अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर,” शब्दों का लोप किया जाएगा।

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

## (9) भाग 14

<sup>7</sup>[अनुच्छेद 312 में, “राज्यों के” शब्दों के पश्चात् “(जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य भी है)” कोष्ठक और शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।]

## <sup>8</sup>[(10) भाग 15

(क) अनुच्छेद 324 के खंड (1) में, जम्मू-कश्मीर के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के निर्वाचनों के बारे में संविधान के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर के संविधान के प्रति निर्देश है।

<sup>9</sup>[(ख) अनुच्छेद 325, 326, 327 और 329 में राज्य के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के प्रति निर्देश नहीं है।

(ग) अनुच्छेद 328 का लोप किया जाएगा।

(घ) अनुच्छेद 329 में, “या अनुच्छेद 328” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।]]

<sup>1</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (झ) का लोप किया गया।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (ज) को खंड (झ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात् संविधान आदेश 66 द्वारा उसे खंड (ज) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 55 द्वारा अंतःस्थापित खंड (क) और खंड (ख) का संविधान आदेश 56 द्वारा लोप किया गया।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 55 द्वारा खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) को क्रमशः खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया और तत्पश्चात् संविधान आदेश 56 द्वारा उन्हें क्रमशः खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 94 द्वारा “अनुच्छेद 290 और अनुच्छेद 291” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा कोष्ठक और अक्षर “(क)” तथा “(ख)” का लोप किया गया।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा पूर्ववर्ती उपांतरण के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 60 द्वारा (26-1-1960 से) उपपैरा (10) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>9</sup> संविधान आदेश 75 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>[(h)] In clause (2) of article 261, the words “made by Parliament” shall be omitted.

(7) PART XII.

<sup>3</sup>\* \* \* \* \*

<sup>4</sup>[(a)] Clause (2) of article 267, article 273, clause (2) of article 283 <sup>5</sup>[and article 290] shall be omitted.

<sup>6</sup>[(b)] In articles 266, 282, 284, 298, 299 and 300, references to the State or States shall be construed as not including references to the State of Jammu and Kashmir.

<sup>6</sup>[(c)] In articles 277 and 295, references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of this order.

(8) PART XIII.

In clause (1) of article 303, the words “by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the Lists in the Seventh Schedule” shall be omitted.

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

(9) PART XIV.

<sup>7</sup> [In article 312, after the words “the States”, the brackets and words “(including the State of Jammu and Kashmir)” shall be inserted.]

<sup>8</sup>[(10) PART XV.

(a) In clause (1) of article 324, the reference to the Constitution shall, in relation to elections to either House of the Legislature of Jammu and Kashmir, be construed as a reference to the Constitution of Jammu and Kashmir.

<sup>9</sup>[(b) In articles 325, 326, 327 and 329, the reference to a State shall be construed as not including a reference to the State of Jammu and Kashmir.

(c) Article 328 shall be omitted.

(d) In article 329, the words and figures “or article 328” shall be omitted.]]

---

<sup>1</sup> Cl. (i) omitted by C.O. 56.

<sup>2</sup> Cl. (j) relettered as cl. (i) by C.O. 56 and again relettered as cl. (h) by C.O. 66.

<sup>3</sup> Cls. (a) and (b) inserted by C.O. 55 have been omitted by C.O. 56.

<sup>4</sup> Cls. (a); (b) and (c) relettered as (c); (d) and (e) respectively by C.O. 55 have again been relettered as cl. (a), (b) and (c) respectively by C.O. 56.

<sup>5</sup> Subs. by C.O. 94, for “articles 290 and 291”.

<sup>6</sup> Brackets and letter “(a)” and cl. (b) omitted by C.O. 56. (1 9. ‘Subs., ibid.. for the previous modification.

<sup>7</sup> Subs., ibid. for the previous modification.

<sup>8</sup> Subs, by C.O. 60 for sub-paragraph (10) (w.e.f. 26-1-1960).

<sup>9</sup> Ins. by C.O. 75 for. (b) and (c)

<sup>1</sup>[(ड) अनुच्छेद 329क में, खंड (4) और (5) का लोप किया जाएगा ।]

## (11) भाग 16

<sup>2</sup>\* \* \* \* \*

<sup>3</sup>[(क)] अनुच्छेद 331, 332, 333, <sup>4</sup>[336 और 337] का लोप किया जाएगा ।

<sup>3</sup>[(ख)] अनुच्छेद 334 और 335 में राज्य या राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश नहीं है ।

<sup>5</sup>[(ग) अनुच्छेद 339 के खंड (1) में “राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों” शब्दों के स्थान पर “राज्यों की अनुसूचित जनजातियों” शब्द रखे जाएंगे ।]

## (12) भाग 17

इस भाग के उपबंध केवल वहीं तक लागू होंगे जहां तक वे---

(i) संघ की राजभाषा,

(ii) एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, अथवा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा, और

(iii) उच्चतम न्यायालय में कार्यवाहियों की भाषा,

से संबंधित है ।

## (13) भाग 18

(क) अनुच्छेद 352 में निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :---

<sup>6</sup>[(6)] केवल आंतरिक अशांति या उसका संकट सन्निकट होने के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा (अनुच्छेद 354 की बाबत लागू होने के सिवाय) जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी लागू होगी <sup>7</sup>[जब वह--

(क) उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से की गई है ; या

(ख) जहां वह इस प्रकार नहीं की गई है वहां वह उस राज्य की सरकार के अनुरोध पर या उसकी सहमति से राष्ट्रपति द्वारा बाद में लागू की गई है ।]”।

<sup>8</sup>[(ख) अनुच्छेद 356 के खंड (1) में, इस संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देशों का जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के संविधान के उपबंधों या उपबंध के प्रति निर्देश है :

<sup>1</sup> संविधान आदेश 105 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 124 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 124 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) को खंड (क) और खंड (ख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 124 द्वारा खंड “336, 337, 339 और 342” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 124 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 104 द्वारा “(4)” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 100 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 71 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>(e) In article 329A, clauses (4) and (5) shall be omitted.

(11) PART XVI.

<sup>2</sup>\* \* \* \* \*

<sup>3</sup>[(a)] Articles 331, 332, 333, <sup>4</sup>[336 and 337] shall be omitted.

<sup>1</sup>[(b)] In articles 334 and 335, references to the State or the States shall be construed as not including references to the State of Jammu and Kashmir.

<sup>5</sup>[(c) In clause (1) of article 339, the words “the administration of the Scheduled Areas and” shall be omitted.]

(12) PART XVII.

The provisions of the Part shall apply only in so far as they relate to—

(i) the official language of the Union;

(ii) the official language for communication between one State and another, or between a State and the Union; and

(iii) the language of the proceedings in the Supreme Court.

(13) PART XVIII.

(a) To article 352, the following new clause shall be added, namely:—

“<sup>6</sup>[(6)] No Proclamation of Emergency made on grounds only of internal disturbance or imminent danger thereof shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir (except as respects article 354) <sup>7</sup>[unless—

(a) it is made at the request or with the concurrence of the Government of that State, or

(b) where it has not been so made, it is applied subsequently by the President to that State at the request or with the concurrence of the Government of that State.]”;

<sup>8</sup>[(b) In clause (1) of article 356, references to provisions or provision of this Constitution shall, in relation to the State of Jammu and Kashmir, be construed as including references to provisions or provision of the Constitution of Jammu and Kashmir.

---

<sup>1</sup> *Ins. by C.O. 105.*

<sup>2</sup> *Cl. (a) omitted by C. O. 124*

<sup>3</sup> *Cls. (b) and (c) relettered as clauses (a) and (b), by C.O. 124.*

<sup>4</sup> *Subs., ibid., for “336, 337, 339 and 342”.*

<sup>5</sup> *Ins., ibid.*

<sup>6</sup> *Subs. by C.O. 104, for “(4)”.*

<sup>7</sup> *Subs. by C.O. 100, for certain words.*

<sup>8</sup> *Subs. by C.O. 71, for cl. (b).*



<sup>1</sup>[(खख) अनुच्छेद 356 के खंड (4) में दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

‘परन्तु यह भी कि जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में 18 जुलाई, 1990 को खंड (1) के अधीन जारी की गई उद्घोषणा के मामले में इस खंड के पहले परन्तुक में “तीन वर्ष” के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह <sup>2</sup>[[“सात वर्ष”] के प्रति निर्देश है ]’ ।

(ग) अनुच्छेद 360 का लोप किया जाएगा ।]

#### (14) भाग 19

3\* \* \* \* \*

<sup>4</sup>[(क)] <sup>5</sup>[अनुच्छेद 365] का लोप किया जाएगा ।

6\* \* \* \* \*

<sup>4</sup>[(ख)] अनुच्छेद 367 में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :---

“(4) इस संविधान के, जैसा कि वह जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होता है, प्रयोजनों के लिए,---

(क) इस संविधान या उसके उपबंधों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उक्त राज्य के संबंध में लागू संविधान के या उसके उपबंधों के प्रति निर्देश भी हैं ।

<sup>7</sup>[(कक) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में तत्समय मान्यताप्राप्त तथा तत्समय पदस्थ राज्य मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं ।

(ख) उस राज्य की सरकार के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य कर रहे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश है :

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत अपनी मंत्रि-परिषद् की सलाह से कार्य कर रहे सदरे-रियासत के प्रति निर्देश हैं ;]

(ग) उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश हैं ;

8\* \* \* \* \*

<sup>9</sup>[(घ)] उक्त राज्य के स्थायी निवासियों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनसे ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें राज्य में प्रवृत्त विधियों के अधीन राज्य की प्रजा के रूप में,

<sup>1</sup> संविधान आदेश 151 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 154 द्वारा “चार वर्ष” के स्थान पर और पुनःसंविधान आदेश 160 द्वारा “पांच वर्ष” के स्थान पर और पुनःसंविधान आदेश 162 द्वारा (6-7-1996 से) “छह वर्ष” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (क) का लोप किया गया ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ख) और खंड (ग) को खंड (क) और खंड (ख) के रूप में पुनःअक्षरंकित किया गया ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 94 द्वारा “अनुच्छेद 362 और अनुच्छेद 365” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा मूल खंड (ग) का लोप किया गया ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा खंड (घ) का लोप किया गया ।

<sup>9</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ड) को खंड (घ) के रूप में पुनःअक्षरंकित किया गया ।

<sup>1</sup>[(bb) In clause (4) of the article 356, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that in the case of the Proclamation issued under clause (1) on the 18th day of July, 1990 with respect to the State of Jammu and Kashmir, the reference in the first proviso to this clause to “three years” shall be construed as a reference to <sup>2</sup>“seven years”<sup>3</sup>”].

(c) Article 360 shall be omitted.]

(14) PART XIX.

<sup>3</sup>\* \* \* \* \*

<sup>4</sup>[(a)] <sup>5</sup>[Article 365] shall be omitted.

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

<sup>10</sup>[(b)] To article 367, there shall be added the following clause, namely:—

“(4) For the purposes of this Constitution as it applies in relation to the State of Jammu and Kashmir—

(a) references to this Constitution or to the provisions thereof shall be construed as references to the Constitution or the provisions thereof as applied in relation to the said State;

<sup>7</sup>[(aa) references to the person for the time being recognised by the President on the recommendation of the Legislative Assembly of the State as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir, acting on the advice of the Council of Ministers of the State for the time being in office, shall be construed as references to the Governor of Jammu and Kashmir;

(b) references to the Government of the said State shall be construed as including references to the Governor of Jammu and Kashmir acting on the advice of his Council of Ministers:

Provided that in respect of any period prior to the 10th day of April, 1965, such references shall be construed as including references to the Sadar-i-Riyasat acting on the advice of his Council of Ministers;]

(c) references to a High Court shall include references to the High Court of Jammu and Kashmir;

<sup>8</sup>\* \* \* \* \*

<sup>9</sup>[(d)] references to the permanent residents of the said State shall be construed as meaning persons who, before the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954 were recognised as State subjects under the laws in force in the State or who are recognised by any law made by the Legislature of the State as permanent residents of the State; and

---

<sup>1</sup> Added by C.O. 151.

<sup>2</sup> Subs. by C.O. 154, for “four years” and again subs. by C.O. 160, for “five years”, and again subs. by C.O. 162 for “six years” w.e.f. 6-7-1996.

<sup>3</sup> Cl. (a) omitted by C.O. 74.

<sup>4</sup> Cls. (b) and (c) relettered as cls. (a) and (b), *ibid.*

<sup>5</sup> Subs. by C.O. 94, for “Articles 362 and 365”.

<sup>6</sup> Original cl. (c) omitted by C.O. 56.

<sup>7</sup> Subs. by C.O. 74, for cl. (b).

<sup>8</sup> Cl. (d) omitted by C.O. 56.

<sup>9</sup> Cl. (e) relettered as cl. (d), *ibid.*

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के प्रारंभ से पूर्व, मान्यताप्राप्त थी या जिन्हें राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों के रूप में मान्यता प्राप्त है; और

<sup>1</sup>[(ड) राज्यपाल के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु 10 अप्रैल, 1965 से पूर्व की किसी अवधि की बाबत, ऐसे निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे राष्ट्रपति द्वारा जम्मू-कश्मीर के सदरे-रियासत के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्ति के प्रति निर्देश हैं और उनके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सदरे-रियासत की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त किसी व्यक्ति के प्रति निर्देश भी हैं ।]”

## (15) भाग 20

<sup>2</sup>[(क) <sup>3</sup>[अनुच्छेद 368 के खंड (2) में] निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि कोई संशोधन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में तभी प्रभावी होगा जब वह अनुच्छेद 370 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू किया गया हो ।”;

<sup>4</sup>[(ख)] अनुच्छेद 368 के खंड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) जम्मू-कश्मीर संविधान के—

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों ; या

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण, विभेद के बिना निर्वाचन नामावलि में सम्मिलित किए जाने की पात्रता, वयस्क मताधिकार और विधान परिषद् के गठन, जो जम्मू-कश्मीर संविधान की धारा 138, 139, 140 और 50 में विनिर्दिष्ट विषय हैं,

से संबंधित किसी उपबंध में या उसके प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई प्रभाव तभी होगा जब ऐसी विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखने के पश्चात्, उनकी अनुमति प्राप्त कर लेती है ।”]।

## (16) भाग 21

(क) अनुच्छेद 369, 371, <sup>5</sup>[371क,] <sup>6</sup>[372क,] 373, अनुच्छेद 374 के खंड (1), (2), (3) और (5) और <sup>7</sup>[अनुच्छेद 376 से 378क तक का और अनुच्छेद 392] का लोप किया जाएगा ।

(ख) अनुच्छेद 372 में,—

(i) खंड (2) और (3) का लोप किया जाएगा ;

(ii) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त विधि के प्रति निर्देशों के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र में विधि का बल रखने वाली हिदायतों, ऐलानों, इश्तिहारों, परिपत्रों, रोबकारों, इरशादों, याददाशतों, राज्य परिषद् के संकल्पों, संविधान सभा के संकल्पों और अन्य लिखतों के प्रति निर्देश भी होंगे ; और

<sup>1</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा खंड (ड) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 101 द्वारा खंड (क) के रूप में संख्यांकित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 91 द्वारा “अनुच्छेद 368 में” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 101 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा “अनुच्छेद 376 से अनुच्छेद 392 तक” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>1</sup>[(e) references to a Governor shall include references to the Governor of Jammu and Kashmir:

Provided that in respect of any period prior to the 10th day of April, 1965, such references shall be construed as references to the person recognised by the President as the Sadar-i-Riyasat of Jammu and Kashmir and as including references to any person recognised by the President as being competent to exercise the powers of the Sadar-i-Riyasat.]”.

(15) PART XX.

<sup>2</sup>[(a)] <sup>3</sup>[To clause (2) of article 368, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided further that no such amendment shall have effect in relation to the State of Jammu and Kashmir unless applied by order of the President under clause (1) of article 370.”.

<sup>4</sup>[(b) After clause (3) of article 368, the following clause shall be added, namely:—

“(4) No law made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir seeking to make any change in or in the effect of any provision of the Constitution of Jammu and Kashmir relating to—

(a) appointment, powers, functions, duties, emoluments, allowances, privileges or immunities of the Governor; or

(b) superintendence, direction and control of elections by the Election Commission of India, eligibility for inclusion in the electoral rolls without discrimination, adult suffrage and composition of the Legislative Council, being matters specified in sections 138, 139, 140 and 50 of the Constitution of Jammu and Kashmir,

shall have any effect unless such law has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent.”].

(16) PART XXI.

(a) Articles 369, 371, <sup>5</sup>[371A], <sup>6</sup>[372A], 373, clauses (1), (2), (3) and (5) of article 374 and <sup>7</sup>[articles 376 to 378A and 392] shall be omitted.

(b) In article 372—

(i) clauses (2) and (3) shall be omitted;

(ii) references to the laws in force in the territory of India shall include references to *hidayats*, *ailans*, *ishtihars*, circulars, *robkars*, *irshads*, *yadashts*, State Council Resolutions, Resolutions of the Constituent Assembly, and other instruments having the force of law in the territory of the State of Jammu and Kashmir; and

---

<sup>1</sup> Subs. by C.O. 74, for cl. (e).

<sup>2</sup> Numbered as cl. (a) by C.O. 101.

<sup>3</sup> Subs. by C.O. 91, for “To article 368”.

<sup>4</sup> Ins. by C.O. 101.

<sup>5</sup> Ins. by C.O. 74.

<sup>6</sup> Ins. by C.O. 56.

<sup>7</sup> Subs. *ibid.*, for “articles 376 to 392”.

(iii) संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश है ।

(ग) अनुच्छेद 374 के खंड (4) में राज्य में प्रिवी कौंसिल के रूप में कार्यरत प्राधिकारी के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह जम्मू-कश्मीर संविधान अधिनियम, संवत् 1996 के अधीन गठित सलाहकार बोर्ड के प्रति निर्देश है, और संविधान के प्रारंभ के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे इस आदेश के प्रारंभ के प्रति निर्देश हैं ।

**(17) भाग 22**

अनुच्छेद 394 और 395 का लोप किया जाएगा ।

**(18) पहली अनुसूची**

**(19) दूसरी अनुसूची**

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

**(20) तीसरी अनुसूची**

प्ररूप 5, 6, 7 और 8 का लोप किया जाएगा ।

**(21) चौथी अनुसूची**

<sup>2</sup>[(22) सातवीं अनुसूची

(क) संघ-सूची में,---

(i) प्रविष्टि 3 के स्थान पर “3. छावनियों का प्रशासन” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

<sup>3</sup>[(ii) प्रविष्टि 8, 9, <sup>4</sup>[और 34], <sup>5</sup>\*\*\* प्रविष्टि 79 और प्रविष्टि 81 में, “अंतरराज्यीय प्रवजन” शब्दों का लोप किया जाएगा ;]

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

<sup>7</sup>[(iii) प्रविष्टि 72 में,---

(क) किसी ऐसी निर्वाचन याचिका में जिसके द्वारा उस राज्य के विधान-मंडल के दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन प्रश्नगत है, जम्मू-कश्मीर राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा किए गए किसी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति निर्देश हैं ;

(ख) अन्य मामलों के संबंध में राज्यों के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत उस राज्य के प्रति निर्देश नहीं है ; <sup>8</sup>[और]]

<sup>9</sup>[(iv) प्रविष्टि 97 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :---

<sup>1</sup> संविधान आदेश 56 द्वारा पैरा 6 से संबंधित उपांतरण का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 66 द्वारा उपपैरा (22) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 85 द्वारा मद (ii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 92 द्वारा “34 और 60” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 95 द्वारा ‘प्रविष्टि 67 में “और अभिलेख” शब्दों’ शब्दों और अंकों का लोप किया गया ।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा मूल मद (iii) का लोप किया गया ।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 83 द्वारा मद (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 85 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>9</sup> संविधान आदेश 93 द्वारा मद (iv) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(iii) references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of this Order.

(c) In clause (4) of article 374, the reference to the authority functioning as the Privy Council of a State shall be construed as a reference to the Advisory Board constituted under the Jammu and Kashmir Constitution Act, 1996 and references to the commencement of the Constitution shall be construed as references to the commencement of this Order.

(17) PART XXII.

Articles 394 and 395 shall be omitted.

(18) FIRST SCHEDULE.

(19) SECOND SCHEDULE.

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

(20) THIRD SCHEDULE.

Forms V, VI, VII and VIII shall be omitted.

(21) FOURTH SCHEDULE.

<sup>2</sup>[(22) SEVENTH SCHEDULE.

(a) In the Union List—

(i) for entry 3, the entry “3. Administration of cantonments.” shall be substituted;

<sup>3</sup>[(ii) entries 8, 9 <sup>4</sup>[and 34], <sup>5</sup>\*\*\* entry 79, and the words “Inter-State migration” in entry 81 shall be omitted;]

<sup>6</sup>\* \* \* \* \*

<sup>7</sup>(iii) in entry 72, the reference to the States shall be construed,—

(a) in relation to appeals to the Supreme Court from any decision or order of the High Court of the State of Jammu and Kashmir made in an election petition whereby an election to either House of the Legislature of that State has been called in question, as including a reference to the State of Jammu and Kashmir;

(b) in relation to other matters, as not including a reference to that State]; <sup>8</sup>[and]

<sup>9</sup>[(iv) for entry 97, the following entry shall be substituted, namely:—

---

<sup>1</sup> Modification relating to paragraph 6 omitted by C.O. 56.

<sup>2</sup> Subs. by C.O. 66, for sub-paragraph (22).

<sup>3</sup> Subs. by C.O. 85, for item (ii).

<sup>4</sup> Subs. by C.O. 92, for “34 and 60”.

<sup>5</sup> The words and figures ‘the words “and records” in the entry 67’ omitted by C.O. 95..

<sup>6</sup> Original item (iii) omitted by C.O. 74.

<sup>7</sup> Subs. by C.O. 83 for item (iii).

<sup>8</sup> Ins. by C.O. 85.

<sup>9</sup> Subs. by C.O. 93 for item (iv).

<sup>1</sup>[97. (क) विधि द्वारा स्थापित सरकार को आतंकित करने या लोगों या लोगों के किसी अनुभाग में आतंक उत्पन्न करने या लोगों के किसी अनुभाग को पृथक् करने या लोगों के विभिन्न अनुभागों के बीच समरसता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आतंकवादी कार्यों को अंतर्वलित करने वाले,

(ख) भारत की प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को अनअंगीकृत, प्रश्नगत या विच्छिन्न करने, अथवा भारत राज्यक्षेत्र के किसी भाग का अध्यर्पण कराने अथवा भारत राज्यक्षेत्र के भाग को संघ से विलग कराने अथवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्र-गान और इस संविधान का अपमान करने वाले,

क्रियाकलाप को रोकना,

समुद्र या वायु द्वारा विदेश यात्रा, अंतर्देशीय विमान यात्रा और डाक वस्तुओं पर जिनके अंतर्गत मनीआर्डर, फोनतार और तार हैं, कर ।

**स्पष्टीकरण**—इस प्रविष्टि में, “आतंकवादी कार्य” का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 248 के स्पष्टीकरण में है ।]

(ख) राज्य सूची का लोप किया जाएगा ।

<sup>2</sup>[(ग) समवर्ती सूची में,—

<sup>3</sup>[(i) प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“1. दंड विधि, (जिसके अंतर्गत सूची 1 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौ सेना, वायु सेना या संघ के किन्हीं अन्य सशस्त्र बलों के प्रयोग नहीं हैं) जहां तक ऐसी दंड विधि इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय में से किसी विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है ।”]

<sup>4</sup>[(i) प्रविष्टि 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“2. दंड प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अपराधों को रोकना तथा दंड न्यायालयों का, जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय नहीं हैं, गठन और संगठन है) जहां तक उसका संबंध—

(i) किन्हीं ऐसे विषयों से, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है, संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराधों से है ; और

(ii) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है ।”

(iख) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“12. साक्ष्य तथा शपथ, जहां तक उनका संबंध—

(i) किसी विदेश में राजनयिक और कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है ; और

<sup>1</sup>["97. Prevention of activities—

<sup>1</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा (4-6-1985 से) प्रविष्टि 97 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 69 द्वारा खंड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 70 द्वारा मद (i) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 94 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 122 द्वारा उपखंड (i) और उपखंड (iख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(a) involving terrorist acts directed towards overawing the Government as by law established or striking terror in the people or any section of the people or alienating any section of the people or adversely affecting the harmony amongst different sections of the people;

(b) directed towards disclaiming, questioning or disrupting the sovereignty and territorial integrity of India or bringing about cession of a part of the territory of India or secession of a part of the territory of India from the Union or causing insult to the Indian National Flag, the Indian National Anthem and this Constitution;

taxes on foreign travel by sea or air, on inland air travel and on postal articles, including money orders, phonograms and telegrams.

*Explanation.*—In this entry, “terrorist act” has the same meaning as in the *Explanation* to article 248.”].

(b) The State List shall be omitted.

<sup>2</sup>[(c) In the Concurrent List—

<sup>3</sup>[(i) for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:—

“1. Criminal law (excluding offences against laws with respect to any of the matters specified in List I and excluding the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power) in so far as such criminal law relates to offences against laws with respect to any of the matters specified in this List.”];

<sup>4</sup><sup>5</sup>[(ia) for entry 2, the following entry shall be substituted, namely:—

“2. Criminal procedure (including prevention of offences and constitution and organisation of criminal courts, except the Supreme Court and the High Court) in so far as it relates to,—

(i) offences against laws with respect to any matters being matters with respect to which Parliament has power to make laws; and

(ii) administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country.”;

(ib) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely:—

“12. Evidence and oaths in so far as they relate to,—

(i) administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country; and

---

<sup>1</sup> Subs. by C.O. 122 for entry 97 (w.e.f. 4-6-1985).

<sup>2</sup> Subs. by C.O. 69 for cl. (c).

<sup>3</sup> Subs. by C.O. 70 for item (i).

<sup>4</sup> Ins. by C.O. 94.

<sup>5</sup> Subs. by C.O. 122 for sub-clauses (ia) and (ib) (w.e.f. 4-6-1985).



(ii) किन्हीं ऐसे अन्य विषयों से है, जो ऐसे विषय हैं, जिनके संबंध में संसद् को विधियां बनाने की शक्ति है।”]

(ig) प्रविष्टि 13 के स्थान पर “13. सिविल प्रक्रिया, जहां तक उसका संबंध किसी विदेश में राजनयिक तथा कौंसलीय अधिकारियों द्वारा शपथ दिलाए जाने तथा शपथपत्र लिए जाने से है” प्रविष्टि रखी जाएगी ;]

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

<sup>2</sup>[<sup>3</sup>(ii) प्रविष्टि 30 के स्थान पर “30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जहां तक उसका संबंध जन्म तथा मृत्यु से है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है” प्रविष्टि रखी जाएगी ;]

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

<sup>5</sup>[(iii) प्रविष्टि 3, प्रविष्टि 5 से 10 तक (जिसमें ये दोनों सम्मिलित हैं), प्रविष्टि 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 तथा 44 का लोप किया जाएगा ;

(iii) प्रविष्टि 42 के स्थान पर “42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण, जहां तक उसका संबंध सूची 1 की प्रविष्टि 67 या सूची 3 की प्रविष्टि 40 के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के या किसी ऐसी मानवीय कलाकृति के, जिसका कलात्मक या सौंदर्यात्मक मूल्य है, अर्जन से है” प्रविष्टि रखी जाएगी ; और]

<sup>6</sup>[(iv) प्रविष्टि 45 में, “सूची 2 या सूची 3” के स्थान पर “इस सूची” शब्द रखे जाएंगे।]

### (23) आठवीं अनुसूची

### <sup>7</sup>[(24) नवीं अनुसूची

<sup>8</sup>[(क)] प्रविष्टि 64 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

<sup>9</sup>[64क] जम्मू-कश्मीर राज्य कुठ अधिनियम (संवत् 1978 का सं० 1);

<sup>9</sup>[64ख] जम्मू-कश्मीर अभिधृति अधिनियम (संवत् 1980 का सं० 2);

<sup>9</sup>[64ग] जम्मू-कश्मीर भूमि अन्य संक्रमण अधिनियम (संवत् 1995 का सं० 5);

<sup>10</sup>\* \* \* \* \*

<sup>11</sup>[64घ] जम्मू-कश्मीर बृहद् भू-संपदा उत्पादन अधिनियम (संवत् 2007 का सं० 17);

<sup>11</sup>[64ङ] जागीरों और भू-राजस्व के अन्य समनुदेशनों आदि के पुनर्ग्रहण के बारे में 1951 का आदेश सं० 6-एच, तारीख 10 मार्च, 1951;

(ii) any other matters being matters with respect to which Parliament has power to make laws.”;

<sup>1</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा मद (ii) और (iii) का लोप किया गया।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 70 द्वारा अंतःस्थापित।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा मद (iv) को मद (ii) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 72 द्वारा मद (v) और (vi) का लोप किया गया।

<sup>5</sup> संविधान आदेश 95 द्वारा मद (iii) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>6</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा मद (vii) को मद (iv) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया।

<sup>7</sup> संविधान आदेश 74 द्वारा उपपैरा (24) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>8</sup> संविधान आदेश 105 द्वारा संख्यांकित।

<sup>9</sup> संविधान आदेश 98 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

<sup>10</sup> संविधान आदेश 106 द्वारा लोप किया गया।

<sup>11</sup> संविधान आदेश 1106 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

(ic) for entry 13, the entry “13. Civil procedure in so far as it relates to administration of oaths and taking of affidavits by diplomatic and consular officers in any foreign country.” shall be substituted;

<sup>1</sup>\* \* \* \* \*

<sup>2</sup><sup>3</sup>[(ii) for entry 30, the entry “30. Vital statistics in so far as they relate to births and deaths including registration of births and deaths.” shall be substituted;

<sup>4</sup>\* \* \* \* \*

<sup>5</sup>(iii) entry 3, entries 5 to 10 (both inclusive), entries 14, 15, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 31, 32, 37, 38, 41 and 44 shall be omitted;

(iiia) for entry 42, the entry “42. Acquisition and requisitioning of property, so far as regards acquisition of any property covered by entry 67 of List I or entry 40 of List III or of any human work of art which has artistic or aesthetic value.” shall be substituted; and

<sup>6</sup>(iv) in entry 45, for the words and figures “List II or List III”, the words “this List” shall be substituted.

(23) EIGHTH SCHEDULE.

<sup>7</sup>(24) NINTH SCHEDULE.

<sup>8</sup>[(a)] After entry 64, the following entries shall be added, namely:—

<sup>9</sup>64A. The Jammu and Kashmir State Kuth Act (No. I of Svt. 1978).

<sup>11</sup>[64B]. The Jammu and Kashmir Tenancy Act (No. II of Svt. 1980).

<sup>11</sup>[64C]. The Jammu and Kashmir Alienation of Land Act (No. V of Svt. 1995).

<sup>10</sup>\* \* \* \* \*

<sup>11</sup>[64D]. The Jammu and Kashmir Big Landed Estates Abolition Act (No. XVII of Svt. 2007).

<sup>13</sup>[64E]. Order No. 6-H of 1951, dated the 10th March, 1951, regarding Resumption of Jagirs and other assignments of land revenue, etc.

---

<sup>1</sup> Items (ii) and (iii) omitted by C.O. 74.

<sup>2</sup> Ins. by C.O. 70.

<sup>3</sup> Items (iv) renumbered as item (ii) by C.O. 74.

<sup>4</sup> Items (v) and (vi) omitted by C.O. 72.

<sup>5</sup> Subs. by C.O. 95 for item (iii).

<sup>6</sup> Items (vii) renumbered as item (iv) by C.O. 74.

<sup>7</sup> Subs., *ibid* for sub-paragraph (24).

<sup>8</sup> Numbered by C.O. 105.

<sup>9</sup> Renumbered by C.O. 98.

<sup>10</sup> Omitted by C.O. 106.

<sup>11</sup> Renumbered, *ibid*.

<sup>1</sup>[64च] जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति की वापसी अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 14);

64छ. जम्मू-कश्मीर ऋणी राहत अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 15) ।]

<sup>2</sup>[(ख) संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अंतःस्थापित प्रविष्टि 87 से 124 तक को क्रमशः प्रविष्टि 65 से 102 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।]

<sup>3</sup>[(ग) प्रविष्टि 125 से 188 तक को क्रमशः प्रविष्टि 103 से 166 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ।]

#### <sup>4</sup>[(25) दसवीं अनुसूची

(क) “[अनुच्छेद 102(2) और अनुच्छेद 191(2)]” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “[अनुच्छेद 102(2)]” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) पैरा 1 के खंड (क) में, “या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान सभा या विधान-मंडल का कोई सदन” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) पैरा 2 में,—

(i) उपपैरा 1 में, स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) में, “यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 99” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) उपपैरा (3) में, “यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 99” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(iii) उपपैरा (4) में, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) संशोधन आदेश, 1989 के प्रारंभ के प्रति निर्देश है;

(घ) पैरा 5 में, “अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष” शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ङ) पैरा 6 के उपपैरा (2) में, “यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधान-मंडल की कार्यवाहियां हैं” शब्दों और अंकों के स्थान पर “अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद् की कार्यवाहियां हैं” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) पैरा 8 के उपपैरा (3) में, “यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “अनुच्छेद 105” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।]

<sup>1</sup> संविधान आदेश 106 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> संविधान आदेश 105 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> संविधान आदेश 108 द्वारा (31-12-1977 से) अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> संविधान आदेश 136 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>1</sup>[64F. The Jammu and Kashmir Restitution of Mortgaged Properties Act, 1976 (Act XIV of 1976).

64G. The Jammu and Kashmir Debtors' Relief Act, 1976 (Act XV of 1976).

<sup>2</sup>[(b) Entries 87 to 124, inserted by the Constitution (Thirty-ninth Amendment) Act, 1975, shall be renumbered as entries 65 to 102 respectively.]

<sup>3</sup>[(c) Entries 125 to 188 shall be renumbered as entries 103 to 166 respectively.]

<sup>4</sup>[(25) TENTH SCHEDULE.

(a) for the brackets, words and figures “Articles 102(2) and 191(2)”, the brackets, word and figures “[Article 102(2)]” shall be substituted;

(b) in clause (a) of paragraph 1, the words “or the Legislative Assembly or, as the case may be, either House of the Legislature of a State” shall be omitted;

(c) in paragraph 2,—

(i) in sub-paragraph (1), in sub-clause (ii) of clause (b) of the *Explanation*, the words and figures “or, as the case may be, article 188” shall be omitted;

(ii) in sub-paragraph (3), the words and figures “or, as the case may be, article 188” shall be omitted;

(iii) in sub-paragraph (4), the reference to the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985 shall be construed as a reference to the commencement of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Amendment Order, 1989;

(d) in paragraph 5, the words “or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State” shall be omitted;

(e) in sub-paragraph (2) of paragraph 6, the words and figures “or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212” shall be omitted;

(f) in sub-paragraph (3) of paragraph 8, the words and figures “or, as the case may be, article 194,” shall be omitted.]

---

<sup>1</sup> Ins. *ibid.*

<sup>2</sup> Ins. by C.O. 105.

<sup>3</sup> Ins. by C.O. 108 (w.e.f. 31-12-1977).

<sup>4</sup> ins. by C.O. 136.